भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.2917

उत्तर देने की तारीख 20 दिसम्बर, 2023

5जी को शीघ्रता से लागू करना

2917. श्री रविन्दर कुशवाहा:

श्री रवि किशन:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में 5जी को शीघ्रता से लागू करने के लिए वर्ष 2014 से विधान/अधीनस्थ विधान के माध्यम से क्या परिवर्तन किए गए हैं;

(ख) इस क्षेत्र में शुरु किए गए वायरलेस लाइसेंसिंग संबंधी प्रक्रियात्मक सुधारों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में शुरु किए गए सेटेलाइट सुधारों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार राज्य मंत्री

(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) 14 महीनों के भीतर 4 लाख से अधिक बेस स्टेशनों की स्थापना से विश्व के तीव्रतम 5जी सेवाओं के रोल आउट में से एक भारत में हुआ है। इसे निम्नलिखित नीतिगत उपायों के माध्यम से प्राप्त किया गया है:

(i) वित्तीय सुधारों की श्रृंखला जिसके परिणामस्वरूप समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) को युक्तिसंगत बनाया गया।

(ii) खुली और पारदर्शी नीलामी के माध्यम से मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त स्पेक्ट्रम का आवंटन।

(iii) स्पेक्ट्रम की शेयरिंग, ट्रेडिंग, लीजिंग और सरेंडर की अनुमति दी गई है ताकि इसके कुशल उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

(iv) एसएसीएफए (रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन पर स्थायी सलाहकार समिति) क्लीयरेंस के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण करना। इस सरलीकृत प्रक्रिया के कार्यान्वयन के बाद एसएसीएफए क्लीयरेंस के लिए औसत प्रोसेसिंग समय कम होकर 5 दिन रह गया है।

(v) मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू) नियमावली, 2016 को भारतीय तार अधिनियम, 1885 के तहत अधिसूचित किया गया है। इसके अनुपालन में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी आरओडब्ल्यू नीतियों को अधिसूचित किया है। इसके परिणामस्वरूप आरओडब्ल्यू अनुमतियों को सरल और कारगर बनाया गया है और दूरसंचार अवसंरचना की संस्थापना हेतु क्लीयरेंस की प्रक्रिया में तेजी आई है।

(vi) भारतीय तार मार्ग का अधिकार (संशोधित) नियमावली, 2022 में स्मॉल सेल और टेलीग्राफ लाइन की संस्थापना के लिए स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग हेतु आवेदन प्रक्रिया और समयबद्ध अनुमति को विनिर्दिष्ट किया गया है।

(vii) आरओडब्ल्य अनुमतियों में तेजी लाने के लिए पीएम गतिशक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया गया है।

(ख) उपर्युक्त उपायों के अलावा वायरलेस प्रक्रियाओं में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) इसके कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर स्पेक्ट्रम का सामंजस्य बनाना।

(ii) स्पेक्ट्रम के उपयोग और विभिन्न आवृत्ति बैंडों में अंतरावरोधन के समाधान का आकलन करने के लिए स्पेक्ट्रम ऑडिट और आवधिक निगरानी करना।

(iii) स्पेक्ट्रम उपयोग और दक्षता में सुधार के लिए समय-समय पर मौजूदा वायरलेस प्रयोक्ताओं के पास अप्रयुक्त पड़े स्पेक्ट्रम की री-फ़ार्मिंग भी की जाती है।

(iv) सिंगल स्क्रूटिनी वर्कफ़्लो के आधार पर स्पेक्ट्रम असाइनमेंट प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया।

(v) कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क (सीएनपीएन) लाइसेंसधारको को स्पेक्ट्रम पट्टे पर देने की अनुमति दी गई है।

(vi) दूरसंचार उपकरणों के आयात की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

(ग) सरकार ने सेटेलाइट संचार क्षेत्र के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। इस दिशा में किये गये सुधारों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

(i) सेवा प्रदाताओं के लिए प्रति ट्रांसपोंडर एनओसीसी (नेटवर्क ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर) प्रभार समाप्त कर दिया गया है।

(ii) यूजर-साइड वीएसएटी (वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल) स्थापित करने के लिए डब्ल्यूओएल (वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस) की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

(iii) सेटेलाइट एंटेना के भौतिक परीक्षण के स्थान पर एंटेना के लिए स्व-प्रमाणन और स्वचालित अप-लिंकिंग अनुमति की ऑनलाइन जेनरेट करने की सुविधा प्रदान की गई है।

(iv) सेटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(v) कैप्टिव वीसैट (वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल) नेटवर्क प्रयोक्ताओं की सुविधा के लिए दूरस्थ वीसैट टर्मिनलों के लिए 25% अतिरिक्त रॉयल्टी प्रभार समाप्त कर दिया गया है।

(vi) बीएसएनएल (भारत संचार निगम लिमिटेड) द्वारा प्रदान किए जा रहे आईएनएमएआरएसएटी (अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेटेलाइट) आधारित सेटेलाइट फोन के लिए प्रभार एजीआर (समायोजित सकल राजस्व) के आधार पर बनाया गया है।

(vii) इज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए टेलीपोर्ट लाइसेंस के तहत टीवी (टेलीविजन) चैनलों को स्व-घोषणा के आधार पर समर्थन की अनुमति दी गई है।

(viii) प्रति टीवी चैनल उपयोग की जाने वाली न्यूनतम निर्धारित बैंडविड्थ के भीतर टीवी चैनलों की संख्या पर प्रतिबंध हटा दिया गया है।

(ix) वीसैट सीयूजी (क्लोज्ड यूजर ग्रुप) ऑपरेटरों के लिए आवधिक परिनियोजन डेटा जमा करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

*****